

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

**LOK SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION NO. 118**  
(TO BE ANSWERED ON 02.02.2022)

**RESERVATION IN GOVERNMENT JOBS**

**118. SHRI NALIN KUMAR KATEEL:**

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) whether the Government is aware that there is a persistent demand from various communities for reservation in Government jobs and if so, the details thereof;
- (b) if so, whether the Government has taken note that such demands are taking place across the country and made to think on the existing reservation system of the Government after 70 years of Independence and if so, the details thereof;
- (c) whether the Government proposes to ensure that all the poor people of the society would get the benefits of reservation and if so, the details thereof;
- (d) whether the Government is taking adequate necessary steps to work out an effective reservation policy for the welfare of all the weaker sections in all the categories of the society; and
- (e) if so, the details and response of the Government in this regard?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE  
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a) to (e): There have been demands from various Castes/Communities for their inclusion in the list of Scheduled Castes and Central list of Other Backward Classes. However, none of these demands exclusively pertain to reservation in Government jobs.

The existing policy for appointments in the Central Government provides for reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economic Weaker Sections, Persons with Disabilities and Ex-servicemen. Reservation to the extent of 10% in services and posts for Economically Weaker Sections (EWS) has been provided, vide DoPT OMs dated 19.1.2019 and 31.1.2019 following the 103<sup>rd</sup> Constitution Amendment.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 118

(दिनांक 02.02.2022 को उत्तर के लिए)

सरकारी नौकरियों में आरक्षण

118. श्री नलीन कुमार कटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न समुदायों की ओर से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की लगातार मांग की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश भर में ऐसी मांगें हो रही हैं और आजादी के 70 वर्षों के बाद सरकार को मौजूदा आरक्षण प्रणाली पर विचार करना पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि समाज के सभी गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ मिले और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार समाज के सभी श्रेणियों के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक प्रभावी आरक्षण नीति तैयार करने के लिए पर्याप्त आवश्यक कदम उठा रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) : विभिन्न जातियों/समुदायों द्वारा उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची और अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने हेतु मांग की जा रही है। तथापि, इनमें से कोई भी मांग पूरी तरह से सरकारी नौकरी में आरक्षण से जुड़ी हुई नहीं है।

केन्द्र सरकार में नियुक्तियों की वर्तमान नीति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में 103 वें संशोधन के पश्चात् डीओपीटी के दिनांक 19.01.2019 तथा 31.01.2019 के कार्यालय जापन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए सेवाओं और पदों में 10% की सीमा तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

\*\*\*\*